न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 07/2015/प्रार्थना पत्र 6ए

सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, सीकर

प्रार्थी

बनाम

मैसर्स न्यू बालाजी इलक्ट्रीकल्स नीमकाथाना जिला सीकर संचालक श्री राजेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्रीरामपाल सैनी निवासी चला तहसील नीमकाथाना

अप्रार्थी

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसीएक्ट 1955 के तहत

निर्णय **दिनांकः–20.02.2020**

जिला रसद अधिकारी, सीकर की ओर से एक आवेदन अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया गया। इस आवेदन का संक्षेप सार इस प्रकार है कि दिनांक 25.07.2014 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के निर्देशानुसार प्रवर्तन निरीक्षक नीमकाथाना श्रीमती सुनीता शर्मा द्वारा मैसर्स न्यू बालाजी इलक्ट्रीकल्स नीमकाथाना रोड़ तहसील नीमकाथाना स्थित दुकान पर 80ली0 केरोसीन तेल (नीला) के अवैध स्टॉक को जब्त किया गया। मौके पर प्रतिष्ठान के संचालक श्री राजेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्रीरामपाल सैनी निवासी चला तहसील नीमकाथाना द्वारा उक्त 80 ली0 केरोसीन के अवैध भण्डारण के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नही किया गया। नीला केरोसीन भण्डारण निषेध है। यह राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमयन) आदेश 1976, 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है। उक्त नीले केरोसीन को सुरक्षा की दृष्टि से उचित मूल्य दुकानदार मूलचन्द अग्रवाल ग्राम चला तहसील नीमकाथाना को सुपर्दगी मे दिया तथा फर्द मौका, फर्द जब्ती एवं सुपुर्दगीनामा मौका पर बनाई गई। केरोसीन ज्वलनशीन पदार्थ है तथा क्षीणय प्रकृति की होने के कारण शीघ्र निस्तारण किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तशुदा केरोसीन को राजसात करने के आदेश फरमावे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रिजस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी अनुपस्थित रहा। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध फर्द मौका रिपोर्ट में अंकित किया हुआ है कि शिकायत जांच न्यू बालाजी इलेक्ट्रीकल्स नीमकाथाना रोड़ चला स्थित दुकान पर पहूंची। दुकान मालिक श्री राजेन्द्र कुमार के व्यक्तिगत मकान में है। मुखबिर द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी कि उक्त दुकान में डीजल व केरोसिन का स्टॉक किया गया है। जांच में मौके पर 360 लीटर डीजल (एक ड्रम 200 लीटर एक ड्रम 120 लीटर एक ड्रम 40 लीटर कुल 360 लीटर) मिला तथा 80 लीटर केरोसिन (एक जरीकेन 40 लीटर एक जरीकेन 40 लीटर) मौके पर मिला। दुकानदार द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त डीजल व केरोसिन व्यक्तिगत उपयोग हेतु रखा गया है। दुकानदार द्वारा श्री कल्याण सर्विस स्टेशन (पेंट्रोल पम्प) नीमकाथाना के दिनांक 14.07.2014

...टर केरोसिन (नीला) के संदर्भ में कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण मौके पर ही जब्त कर उचित मूल्य दुकानदार मूलचन्द अग्रवाल ग्राम चला को सुपुर्दगी में दिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन करने पर अप्रार्थी की और से उक्त केरोसिन (नीला) का अवैध संग्रहण नहीं किये जाने के सम्बंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया एवं ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है। चूंकि केरोसिन (नीला) ज्वलनशील पदार्थ है। इस प्रकरण में किसी अन्य सक्षम न्यायालय में कोई वाद/निर्णय हुआ है, तो तद्नुसार जिला रसद अधिकारी नियमानुसार कार्यवाही करें और इस न्यायालय को भी अवगत करावें। ज्वलनशीन पदार्थ से हादसा होने की आशंका को देखते हुए इसका अन्तरिम निस्तारण किया जाना उचित एवं अति आवश्यक प्रतीत होता है। अतः जिला रसद अधिकारी, सीकर को लिखा जावे कि उक्त उक्त जब्त शुदा केरोसिन तेल मात्रा 80/– लीटर का अन्तरिम निस्तारण नियमानुसार किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट सीकर

20/2/20

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अति० जिला कलक्टर, सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Prakash Narayan
Date: 2020.03.02 17:01:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: